विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-14/15

श्री शशिकांत जैन — आवेदक
उत्कर्ष विहार कालोनी
खजराना रोड, इंदौर (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर।

आदेश
(दिनांक 19.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0293715 श्री शशिकांत जैन विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (पूर्व), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–14/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 17.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में स्थापित मीटर में माह अक्टूबर, 2014 में एका–एक 13465 यूनिट की खपत एक माह में असामान्य खपत से अधिक खपत दर्ज होन पर इस अवधि को औसत खपत के आधार पर बिल संशोधित करने का अनुरोध किया है।

04 आवेदक द्वारा उनके परिसर की खपत के संबंध में पिछले 5 वर्षों की खपत का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि विगत 5 वर्षों में किसी भी माह में उनके यहॉ 13465 यूनिट तक की खपत नहीं आई है।

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक द्वारा विवादित अवधि के बीच की एम.आर.आई डिटेल उपलब्ध नहीं कराई गई।

06 आवेदक द्वारा बताया गया कि इतनी खपत आने पर उनके परिसर का मीटर परीक्षण हेतु निकालकर एक अन्य मीटर स्थापित किया गया था जिसकी खपत विगत वर्ष के औसत खपत के अनुसार आ रही है।

07 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर 2014 में एकाएक खपत 13465 यूनिट दर्ज होने पर मीटर की कार्यप्रणाली का परीक्षण प्रयोगशाला में कराया गया जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पायी गई।

08 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर उनके यहॉ 40 किलोवाट का संयोजित भार पाया गया। अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर मॉडमयुक्त है जिसमें कि जीपीआरएस सिम लगी रहती है। इस सिम के माध्यम से ए.एम.आर. सेल में स्थापित डाटा सर्वर में कनेक्ट रहता है तथा जिसके माध्यम से मीटर की रीडिंग सर्वर में दर्ज होती है। कनेक्टिविटी नहीं होने पर रीडिंग दर्ज नहीं हो पाती। इस कारण दिनांक 6.10.2014 से 20.10.2014 तक रीडिंग की एमआरआई उपलब्ध नहीं हो सकी।

09 अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि आवेदक के परिसर में संयोजित भार एवं मीटर की कार्यप्रणाली सही पाये जाने पर माह अक्टूबर 2014 पायी गई खपत सही एवं आवेदक के परिसर की आंतरिक वायरिंग में खराबी होने के कारण अधिक खपत दर्ज हो सकती है।

10 अनावेदक के इस कथन पर पूछा गया कि यदि विद्युत उपभोक्ता के परिसर में मीटर बंद हो जाता है तो औसत बिल की गणना किस प्रकार की जाती है। इस पर अनावेदक द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता के परिसर में संयोजित भार, विद्युत उपभोग की अवधि तथा लोड फैक्टर के आधार पर खपत की गणना की जाती है। इस संबंध में माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के भाग 10 की कंडिका 2.3.1 में विभिन्न उपभोक्ताओं की खपत का निर्धारण करने की विधि उपलब्ध है जिसके अनुसार खपत का निर्धारण किया जा सकता है।

11 अनावेदक के उपरोक्त कथन पर जब आवेदक के यहॉ 40 किलोवाट लोड के अनुसार एवं कंडिका 2.3.1 में उल्लेखित अवधि एवं लोड फैक्टर के हिसाब से गणना की गई तो अधिकतम खपत (40 X 8 X .4 X 30) 3840 यूनिट आना पाया गया।

:: निष्कर्ष ::

उपरोक्त तथ्यों, तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

12 उपभोक्ता के यहॉ विगत 5 वर्षों में अभी तक किसी भी माह 13465 यूनिट की खपत अंकित नहीं हुई तथा विगत वर्षों के अक्टूबर माह की खपत से भी तुलना की जाए तब भी विगत वर्षो में क्रमशः अक्टूबर, 2010, में 559 यूनिट, अक्टूबर, 2011, में 810 यूनिट, अक्टूबर, 2012, में 525 यूनिट, अक्टूबर, 2013, में 1057 यूनिट तथा अक्टूबर, 2014 में 13465 यूनिट दर्ज की गई जो कि विगत वर्षों के माह अक्टूबर अथवा अन्य किसी भी महिनों की खपत से मेल नहीं खाता।

13 संयोजित भार के आधार पर भी यदि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.3.1 के अनुसार खपत की गणना की जाए तब भी अधिकतम खपत 3840 यूनिट ही दर्ज होना चाहिए। अतः मीटर में दर्ज खपत मीटर की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली दर्शाता है।

14 उपभोक्ता के परिसर में एक अन्य नया मीटर लगाने के उपरांत भी मीटर द्वारा की गई खपत पूर्व दर्शित औसत खपत के अनुसार ही आ रही है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत खपत प्रतिवेदन से होती है।

15 उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदक के पिछले वर्षों की विद्युत खपत के आकड़ों के दृष्टिगत रखते हुए माह अक्टूबर, 2014 में एकाएक 13465 यूनिट दर्ज खपत मीटर की आंतरिक तकनीकि त्रुटि को इंगित करती है।

:: आदेश ::

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अनावेदक द्वारा आवेदक को अक्टूबर, 2014 में दर्ज 13465 यूनिट खपत का बिल निरस्त करते हुए जुलाई, अगस्त व सितंबर, 2014 में दर्ज औसत खपत के अनुसार संशोधित बिल जारी करें।

फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल